न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2028/2026</u>

<u>वजीरगंज थाना काण्ड संख्या–760/2023</u>

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.अरविंद सिंह, उम्र–60 वर्ष, पिता–सुरेन्द्र सिंह
2 विशाल भारद्वाज, उम्र–34 वर्ष, पिता– अरविंद सिंह
दोनों निवासी–उमन बिगहा, थाना–वजीरगंज, जिला–गया

––––अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री मुकेश कुमार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

<u>06.06.2026</u> आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से वजीरगंज थाना काण्ड संख्या–760/2023 अन्तर्गत धारा–341,342,323,379,384,504,506,34 भा0दं0वि0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदकगण की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर आरोप है कि इन लोगों ने दिनांक–22.12.2023 को अरविंद सिंह, विशाल भारद्वाज एवं चार–पांच अन्य व्यक्ति आये और गाली–गलौज करते हुये उन्होंने 5 लाख रूपये की मांग की नहीं देने पर उसके गले से दो भर के सोने की चैन एवं पैकेट से 10 हजार रूपया छीन लिया। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2028/2026</u>

स्पष्ट है कि कांड दैनिकी की कंडिका 12 में अनुसंधान के दौरान यह पाया गया है कि उन्होंने कोई चोरी नहीं किया है। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा –482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया